बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)
नियोजन सूचना (विज्ञापन)

समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत संचालित होने वाले विभिन्न प्रकार के गृहों के सुचारू संचालन, गृहों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवा उपलब्धता हेतु अभिरूचि आमंत्रण प्रस्ताव (EOI)

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार गृहों यथा, उत्तर रक्षा गृह, बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह, आसरा गृह, अल्पावास गृह, खुला आश्रय गृह, विशेष गृहों के सुचारू संचालन एवं उनके सतत निरीक्षण तथा अनुश्रवण हेतु विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों एवं पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सृजित होने वाले विभिन्न पदों पर नियमित नियोजन होने तक इन गृहों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण कार्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा एवं विभिन्न प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी, जो ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा के अधीन विभिन्न पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, की सेवा की उपलब्धता हेतु अभिरूचि आमंत्रण प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है:–

<u>नियोजन की शर्तें:–</u>

1. विज्ञापन की अंतिम तिथि को न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
2. विभिन्न प्रकार के गृहों के संचालन, निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यकतानुसार पदों को चिन्हित कर सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए एक पैनल का निर्माण किया जायेगा, जिससे सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को इन पदों पर नियोजित किया जा सकेगा।
3. संविदा के आधार पर प्रथमबार नियोजन 2 (दो) वर्ष के लिए किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरान्त की जा सकेगी।
4. नियोजित पदाधिकारियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।
5. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
6. संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त की जा सकेगी।
7. उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी:–
   1. जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
   2. जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
   3. जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
   4. जिन पर कोई किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।
8. नियमित पदाधिकारियों के पद पर नियमित नियुक्ति (यथा सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति) के उपरांत पदस्थापन होते ही संविदा पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

9. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 में प्रावधानित शर्त के अनुरूप अभिरूचि आमंत्रण प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

10. इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारियों पूर्ण विवरण निम्नांकित विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ या निबंधित पत्र के माध्यम से समाज कल्याण निदेशालय, सिंचाई भवन, बिहार, पटना में जमा करेंगे। आवेदन दिनांक 30.11.18 .... तक के अपराह्न **5:00 बजे** तक समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय बेवासाईट:–http://socialwelfare.icdsbih.gov.in/ से अपलोड किया जा सकता है:–

11. आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकृत करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार का पैरवी की स्थिति में नियुक्ति में विचार पर नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(राज कुमार) 16/10/18
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक:– पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग से अनुरोध है कि सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का संविदा के आधार पर नियोजन सूचना विज्ञापन को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राज कुमार) 16/10/18
निदेशक, समाज कल्याण।

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

(समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) के अधीन संचालित होने वाले विभिन्न गृहों के सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न पदों हेतु)

उम्मीदवार का स्व0अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नामः–
2. आवेदक का नामः–
3. आवेदक के पिता/पति का नामः–
4. स्थायी पताः–
5. पत्राचार का पताः–
6. आवेदक की जन्म एवं सेवानिवृत्ति की तिथिः–
   (जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
7. शैक्षणिक योग्यताः–
   (सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. आरक्षण कोटिः–
   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
   (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा।)
9. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवा निवृत्त हुए हैः–
10. सेवानिवृत्ति के समय पदनामः–
11. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे बैण्ड/महंगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाले राशि (पेंशन स्वीकृत्यादेश आदेश की छायाप्रति संलग्न करें):–
12. वर्तमान में पेंशन की राशिः–
13. मोबाईल सं0–

नोटः–आवेदन टंकित कराकर भेजा जा सकता है।

घोषणा पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

2. सेवानिवृत्त पदाधिकारी यह घोषणा करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई निगरानी का मामला/कोई विभागीय कार्यवाही/कोई गंभीर आरोप विचाराधीन/कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जिसके लिए वे आरोपी हो।

आवेदक का हस्ताक्षर